



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052021-227041  
CG-DL-E-18052021-227041

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2021/वैशाख 28, 1943

No. 268]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2021/VAISAKHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2021

सा.का.नि. 334(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा लोकपाल नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा लोकपाल (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 7 के उपनियम (2) के खंड (क) में, "प्राधिकृत करे" शब्दों के स्थान पर "और प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद की रिक्ति की दशा में प्राधिकरण का ज्येष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकृत करे" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 14019/02/2019-बीमा II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 27 अप्रैल, 2017 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 413 (अ) तारीख 25 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 17 अगस्त, 2018 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 147(अ), तारीख 2 मार्च, 2021 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2021

**G.S.R. 334(E).**—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999(41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Ombudsman Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Insurance Ombudsman (Second Amendment) Rules, 2021.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 7 of the Insurance Ombudsman Rules, 2017, in sub-rule (2), in clause (a), after the words “may authorise”, the words, “and in case there is a vacancy in the office of the Chairperson of the Authority, the senior-most whole-time member of the Authority” shall be inserted.

[F. No.14019/02/2019-Ins.II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th April, 2017, *vide* notification number G.S.R. 413 (E), dated the 25th April, 2017 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 785(E), dated the 17th August, 2018, and notification number G.S.R. 147(E), dated the 2nd March, 2021.